Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
July- December 2023 4(2), 1293–1303

प्रिंट से डिजिटल युग तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का विकास : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

डॉ. धीरेन्द्र कुमार राय[1], हर्षित श्याम जायसवाल[2]

[1] सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
[2] शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

ABSTRACT

प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) भारत की सबसे बड़ी समाचार समिति/न्यूज़ एजेंसी है। स्वतंत्र भारत की सहचर रही इस समाचार समिति का इतिहास औपनिवेशिक भारत के इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा रहा है। भारत जैसे विशाल देश में अपने वृहद् नेटवर्क के कारण इस समिति का अपना महत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी और समाचार संकलन में निरंतर हुए बदलाव के बावजूद भी यह समाचार समिति अपने आप को प्रिंट युग से डिजिटल युग तक कैसे प्रासंगिक बनाए रखी है यह जानने योग्य विषय है। तकनीक से इतर भी अपनी स्थापना से लेकर वर्त्तमान कालखण्ड तक भारत में समाचार समितियों के बरक्स कई चुनौतियाँ आयीं, पीटीआई ने उन चुनौतियों से भी कैसे पार पाया यह सब कुछ हम इस शोध आलेख के जरिये समझने का प्रयास करेंगे।

Keywords: समाचार, समाचार समिति, न्यूज़ एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया, पीटीआई, एपीआई, सूचना प्रौद्योगिकी, सब्सक्राइबर्स

Corresponding Author
डॉ. धीरेन्द्र कुमार राय
dhirendra.rai@bhu.ac.in

DOI
10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.2390

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2023 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

1. भूमिका

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) भारत की सबसे प्रतिष्ठित समाचार समिति है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद अगस्त 1947 में स्थापित हुई यह न्यूज़ एजेंसी भारतीय पत्रकारिता में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य करती है। पीटीआई अपने निष्पक्ष और भरोसेमंद समाचार रिपोर्टिंग के लिए भी जानी जाती है। दरअसल पीटीआई एक गैर-लाभकारी सहकारी संगठन के रूप में संचालित होती है, देश के प्रमुख समाचार पत्रों के प्रबंधन और संपादन से जुड़े लोग इसके सदस्य होते हैं। इस संचालन संरचना के कारण ही पीटीआई की पहचान निष्पक्ष और भरोसेमंद न्यूज़ एजेंसी के तौर पर बनी हुई है। पीटीआई के योगदान का महत्व व्यापक कवरेज, विश्वसनीयता, और भारतीय मीडिया में इसके केंद्रीय स्थान से स्पष्ट होता है। पीटीआई लगभग सभी प्रमुख प्रिंट,

How to cite this article (APA): Rai, D. K., and Jaiswal, H. S. (2023). Development of Press Trust of India From Print to Digital Age: Historical Perspective. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, *4*(2), 1293–1303. doi: 10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.2390

इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अन्य प्रसारण मीडिया संस्थाओं को समाचार सामग्री प्रदान करता है जो इसे भारतीय समाचार जगत का एक आधारशिला बनाता है।

600 से ज़्यादा रिपोर्टरों और 800 स्ट्रिंगरों के नेटवर्क के जरिए पीटीआई की पहुँच देश के हर कोने तक है। पीटीआई भारत के छोटे-बड़े शहरों से लेकर कस्बों तक से व्यापक समाचार कवरेज सुनिश्चित करता है। आज के समय में इसके द्वारा अपने सब्सक्राइबर्स हेतु प्रतिदिन 1,000 से ज़्यादा टेक्स्ट-आधारित समाचारों का उत्पादन होता है, साथ ही लगभग 200 लाइव वीडियो, क़रीब 130 रॉ वीडियो स्टोरी, 30 से ज़्यादा वॉयस वीडियो स्टोरी और 250 तस्वीरें तथा ग्राफ़िक्स भी शामिल हैं। पीटीआई द्वारा प्रतिदिन प्रस्तुत समाचार सामग्री की मात्रा इसके कार्य करने के पैमाने और महत्वता दोनों को दर्शाती है। समाचार सामग्री की इतनी बड़ी मात्रा के जरिए ही पीटीआई अपने सब्सक्राइबर्स/ग्राहकों की विविध ज़रूरतों को पूरा करती है, जिनमें मुख्यधारा के मीडिया संगठन, विशेष प्रेस, शोध निकाय, निगम और सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। (पीटीआई, 2023)

अप्रैल 1986 में स्थापित पीटीआई-भाषा अथवा भाषा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) की हिंदी भाषी सेवा है। हिंदी भाषी आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्थापित पीटीआई-भाषा सामान्य ख़बरों के अलावा खेल, अर्थ एवं व्यापार सहित कई विषयों पर हिंदी में समाचार प्रदान करती है। भाषा सटीक, विश्वसनीय और समय पर समाचार प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

दुनियाभर में फैले अपने संवाददाताओं तथा अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीयों के साथ आपसी सहयोग के अनुबंधों से निर्मित विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से पीटीआई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की भी गहन और विश्वसनीय कवरेज सुनिश्चित करती है। इस मजबूत अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के कारण ही पीटीआई भारतीय मीडिया के लिए वैश्विक समाचार स्रोत का भी काम कर रही है।

पीटीआई की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा इसके कई दशकों के निष्पक्ष पत्रकारिता का परिणाम है। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक भारत के स्वतंत्र न्यूज़ एजेंसी के रूप में पीटीआई ने प्रमुख घटनाओं को कवर किया है। इसके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी और समाचार न केवल दैनिक समाचार पत्रों के लिए बल्कि शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए भी एक अमूल्य स्रोत है।

समय के साथ-साथ कदम ताल करने के क्रम में प्रिंट मीडिया के युग से शुरू हुई यह यात्रा डिजिटल युग तक जारी है। बदलते सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के साथ समाचार सामग्रीयों के आदान-प्रदान में पीटीआई ने खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का हरसंभव प्रयास किया है। ख़बरों के लिए टेक्स्ट प्रधान के दौर से निकल कर वीडियो प्रधान हो चुके ज़माने में मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से समाचारों की आपूर्ति ने इसे आधुनिक मीडिया के प्रतिस्पर्धी माहौल में एक आवश्यक खिलाड़ी बना दिया है। एजेंसी तात्कालिक और सटीक समाचार प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का कुशलता से उपयोग कर रही है।

इस शोध आलेख का उद्देश्य पीटीआई के ऐतिहासिक विकास और भारतीय मीडिया के परिदृश्य को आकार देने में इसकी भूमिका का पता लगाना।

2. औपनिवेशिक भारत में समाचार समितियों का विकास

भारत में समाचार समितियों की नींव औपनिवेशिक शासन काल में पड़ने लगी थी। 21 मार्च 1866 को हेनरी कॉलिंस भारत में रॉयटर्स की समाचार सेवा शुरू करने के उद्देश्य से बम्बई पहुँचा। समाचार समिति रॉयटर्स के जरिए प्राप्त समाचार पहली बार समाचार पत्र - बॉम्बे टाइम्स ने छापा। शुरूआत में इस सेवा का उद्देश्य सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए जरुरी वाणिज्यिक ख़बरों का आदान-प्रदान था। किन्तु 1878 में आंग्ल-अफ़गान युद्ध के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के राजनैतिक हाल-चाल का विवरण भी समाचार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। (श्रीवास्तव, 2007, पृ. 37)

रॉयटर्स और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन दोनों एक-दूसरे के परस्पर सहयोगी थे। एक तरफ रॉयटर्स अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश केबल सिस्टम के प्रयोग पर निर्भर था तो दूसरी तरफ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन अपने साम्राज्य की सूचनाओं के लिए उस पर निर्भर था। यूरोपीय न्यूज़ एजेंसियों के मध्य हुई संधियों में यह सहमति बनी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य रॉयटर्स के एकाधिकार का क्षेत्र रहेगा। (स्टोरी, 1951, पृ. 118) 23 जून 1870 को लंदन-बॉम्बे सबमरीन टेलीग्राफ केबल के उद्घाटन के बाद से ही लंदन से ब्रिटेन सहित दुनिया के बाकी हिस्सों में समाचार रॉयटर्स के टेलीग्राम के माध्यम से काफी जल्दी प्राप्त होने लगे थे। साल 1885 से भारतीय समाचारों पर जोर दिया जाने लगा लेकिन रॉयटर्स संवाददाता एडवर्ड बक की नियुक्ति के बाद ही एजेंसी का विस्तार संभव हो सका। (श्रीवास्तव, 2007, पृ. 37)

रॉयटर्स की यह समाचार सेवा असल मायनों में भारतीय न्यूज़ एजेंसी की सेवा नहीं कही जा सकती। इस सेवा का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और व्यापार से जुड़े सूचनाओं का संकलन और प्रसारण सुनिश्चित करना भर था। भारत की आंतरिक समाचार संकलन में यह समिति जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। इस दौर में भारत से दिनभर में सिर्फ 70-80 शब्दों तक की ख़बर ही भेजी जाती थी।

केशव चंद्र रॉय को भारत में समाचार समितियों के पितामह के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने 1908 में समाचार समिति – एसोसिएटेड प्रेस ऑफ़ इंडियाकी शुरुआत की थी। यह वो दौर था जब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला हुआ करती थी। 1865 से 1939 तक भारत की तपती गर्मी से राहत पाने के लिए अंग्रेज़ प्रशासन अपनी राजधानी शिमला ले जाते थे। जब शासन शिमला से चलता तब ख़बरों के लिए देश के पत्रकार भी शिमला पहुँचते थे। ऐसे ही पत्रकारों के बीच में एक पत्रकार थे – केशव चंद्र रॉय। राजधानी में राजनीतिक संवाददाता के रूप में काम करने वाले पहले भारतीय के रूप में के. सी. रॉय ने जल्द ही अपनी पहचान बनाई और अलग-अलग समय पर कई अख़बारों का प्रतिनिधित्व किया, इनमें प्रमुख रूप से लाहौर का ट्रिब्यून; इंडियन डेली मेल, बॉम्बे का जामे-जमशेद और बॉम्बे समाचार; और कलकत्ता का अमृत बाज़ार पत्रिका और इंडियन डेली न्यूज़ आदि शामिल रहे। (राघवन, 1987, पृ. 54)

काम के बढ़ते बोझ को संभालने के लिए के. सी. रॉय ने युवा उषानाथ सेन को अपना सहायक बनाया। इसी युवक उषानाथ सेन के साथ उन्होंने साल 1908 में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ़ अमेरिका की तर्ज पर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ़ इंडिया(एपीआई) की स्थापना की। इस तरह टेलीग्राफिक पता 'एसोसिएटेड' के साथ उन्होंने अपनी न्यूज़ एजेंसी को शुरू किया। इस एजेंसी के माध्यम से रॉय स्वयं शिमला से उनके सहयोगी उषानाथ सेन – कलकत्ता, अमूल्य चंद्र चटर्जी – बंबई तथा बी. पी. घोष – मद्रास से समाचार भेजते थे। (वही, पृ. 55) देश के चारों दिशाओं के प्रमुख नगरों से शुरू हुई इस समाचार समिति की महत्ता को समाचार पत्रों ने भी समझा। बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि में देश के समाचार पत्रों ने एपीआई की समाचार सेवा को हाथों-हाथ लिया। एपीआई की इस सफलता पर रॉयटर्स की भी नजरें पड़ी। एपीआई से मुकाबले के लिए मार्च 1910 में लंदन में 'ईस्टर्न न्यूज़ एजेंसी' की स्थापना हुई इस समिति की स्थापना का उद्देश्य ही था एपीआई पर नियन्त्रण कर भारत में रॉयटर्स का विस्तार करना। ब्रिटिश राज के आर्थिक सहयोग से 1916 आते-आते ईस्टर्न न्यूज़ एजेंसी पर रायटर्स का प्रभुत्व हो चुका था। (सिल्बरस्टीन-लोएब, 2014 पृ.175)

एपीआई ब्रिटिश शासन के अलावा कांग्रेस की ख़बरों को भी प्रमुखता से प्रसारित करता था। अपने इसी स्वतंत्र स्वभाव के कारण एपीआई जल्द ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आँखों में चुभने लगा। दो-तीन बरस तक समिति का संचालन करने के बाद रॉय को ब्रिटिश शासन की नीतियों तथा अन्य कारणों से आर्थिक दिक्कतें आने लगी थी। अंततः एडवर्ड बक और एवेरार्ड कोट्स के प्रयासों और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के सहयोग से रचे परिदृश्य में साल 1910 में रॉयटर्स द्वारा एपीआई का अधिग्रहण कर लिया गया। दोनों पक्षों के बीच ऐसी सहमति बनी कि एपीआई की पहचान नहीं मिटायी जाएगी और इसके पत्रकारों को यथावत रखते हुए उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की जायेगी। रॉयटर्स ने जल्द ही अधिग्रहण के शर्तों का उलंधन शुरू कर दिया। उषानाथ सेन का वेतन ना बढ़ने और कुछ अन्य मुद्दों का सम्मान ना होते देख के सी रॉय ने एपीआई से निकलकर एक अलग न्यूज़ एजेंसी 'इंडियन न्यूज़ ब्यूरो' अथवा 'प्रेस ब्यूरो' बनाने का निर्णय लिया। एपीआई/ ईस्टर्न न्यूज़ एजेंसी को मिलते सरकारी सहयोग के परिदृश्य में रॉय का यह प्रेस ब्यूरो लंबे समय तक नहीं टिक सका। आखिरकार उन्हें अपनी ही बनायीं न्यूज़ एजेंसी से मुक़ाबला करना पड़ रहा था, इंडियन न्यूज़ ब्यूरो के संचालन के लिए रॉय को शिमला स्थित अपने दोनों घर बेचने पड़े और अंतत:

इसे बंद करना पड़ा। इस प्रकार देखें तो 1908 में स्थापित एसोसिएटेड प्रेस ऑफ़ इंडियाभारत की पहली स्वदेशी न्यूज़ एजेंसी होने के साथ-साथ स्वतंत्रता पूर्व काल में तमाम अड़चनों के बावजूद सबसे ज्यादा समाय तक टिके रहने वाली न्यूज़ एजेंसी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉय की एपीआई/ ईस्टर्न न्यूज़ एजेंसी में वापसी हुई। और अपनी 7 सितंबर 1931 में अपनी मृत्यु पर्यंत वह इसके डायरेक्टर रहे। उनकी मृत्यु पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था – "भारतीय पत्रकारिता की एक महान हस्ती का निधन हो गया" । (मित्रा, 1993 पृ. 22)

मशहूर पत्रकार पैट लोवेट अपनी पुस्तक 'जर्नलिज्म इन इंडिया' में के.सी. रॉय को भारतीय पत्रकारिता के सबसे चतुर समाचार-खोजी और "स्कूपिस्ट" बताते हैं। वह लिखते हैं कि एसोसिएटेड प्रेस ने द पायनियर के पुराने एकाधिकार को नष्ट कर दिया है। वह आगे लिखते हैं कि भारत में आधुनिक समाचार पत्र के विकास में के. सी. रॉय के प्रभाव का आकलन कठिन नहीं है। रॉय कभी संपादक नहीं रहे और न मोंटेग्यू सुधारों के लागू होने के राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद कभी राजनीतिक लेखक रहे। फिर भी उनकी प्रवृति को प्रतिभाशाली कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी। पिछले चालीस सालों में किसी भी संपादक की तुलना में भारतीय पत्रकारिता के समाचारों के मूल को पश्चिमी धारणाओं के अनुसार अपडेट करने में इनका योगदान सबसे अहम रहा है। (लोवेट, 1926 पृ. 45)

एपीआई के अलावा औपनिवेशिक काल की दूसरी बड़ी समाचार एजेंसी थी एफपीआई यानी कि – फ्री प्रेस ऑफ़ इण्डिया। फ्री प्रेस ऑफ इंडिया [फ्री प्रेस एजेंसी – एफपीए के रूप में भी ख्यातिलब्ध] की स्थापना 1927 में स्वामीनाथन सदानंद ने की थी। यह एजेंसी रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया (एपीआई) जैसी तत्कालीन ब्रिटिश-नियंत्रित समाचार एजेंसियों के साथ भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच बढ़ते असंतोष के जवाब में उभरी। ये एजेंसियां अक्सर औपनिवेशिक पूर्वाग्रह के साथ समाचार प्रकाशित करती थीं, भारतीय लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किये जा रहे संघर्षों और जनभावनाओं या तो कम करके आँकती थीं या फिर उन्हें विकृत रूप से प्रस्तुत करती थीं। सदानंद ने भारतीय मीडिया परिदृश्य में एक स्वतंत्र और राष्ट्रवादी आवाज़ प्रदान करने के लिए एफपीआई की स्थापना की जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण थी।

एस. सदानंद द्वारा शुरू किये गए इस न्यूज़ एजेंसी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान रहा । एजेंसी को शुरू करते हुए सदानंद का मत था कि जनता की राय काफी हद तक रोज़ाना मिलने वाली खबरों से बनती है। सब्सिडी वाली समाचार एजेंसियों द्वारा एकाधिकार के कारण "स्वस्थ जनमत को बढ़ावा देना अगर असंभव नहीं है तो मुश्किल तो है ही"। (श्रीवास्तव, 2007, पृ. 39)

एफपीआई सिर्फ देश की ख़बरें देने तक ही सीमित नहीं था, इसका का एक अंतर्राष्ट्रीय अनुभाग भी था। इसका लंदन कार्यालय प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों से ख़बरें चुनता और उन्हें एकत्रित कर भारत भेजता था। इससे एफपीआई को रॉयटर्स का मुक़ाबला करने और कई बार उससे आगे निकलने में मदद मिलती थी।

इस बीच देश में स्वतंत्रता संग्राम के बढ़ने में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरु, मदन मोहन मालवीय, भीमराव आंबेडकर सहित लगभग सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देशभर में अपने अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ निकाल रहे थे। डॉ. रामरतन भटनागर ने स्वतंत्रता पूर्व की भारतीय पत्रकारिता को छह काल खंडों में बाँटा है, भटनागर के अनुसार 1900 से 1921 का दौर पत्रिकाओं के विकास का युग था और 1921-1935 तक का दौर दैनिक पत्रों के विकास का युग था। (भटनागर, 2003 पृ. xii)

समाचार पर अपने नियंत्रण में कमजोरी होता देख ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने मई 1930 में प्रेस अध्यादेश पारित किया। इस अध्यादेश को ब्रिटिश शासन की निंदा करने वाले और स्वतंत्र भारत का आह्वान करने वाले समाचार पत्र-पत्रिकाओं तथा पर्चों को रोकने के इरादे से लागू किया गया था। इस अध्यादेश के जरिये फ्री प्रेस के टेलीग्राम पर सख्त सेंसरशिप लागू की गई साथ ही एफपीआई से खबरें लेकर प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों पर भी कठोर नियंत्रण कर दिया गया। प्रेस अध्यादेश या अन्य आपातकालीन प्रेस कानूनों का उल्लंघन करने के डर से समाचार पत्र एजेंसी की खबरों को प्रकाशित करने से हिचकने लगे। इसके अलावा एपीआई ने इस बात का दबाव बनाया कि उसकी सेवा अन्य एजेंसी की सदस्यता लेने वाले समाचार पत्रों को उपलब्ध नहीं होगी।

फिर भी सदानंद ने लड़ाई जारी रखने के लिए दूसरे तरीके खोजे और जून 1930 में बंबई से प्रातःकालीन दैनिक के रूप में "फ्री प्रेस जर्नल" शुरू किया, जो विशेष रूप से फ्री प्रेस एजेंसी की खबरें ही प्रकाशित करता था।

एक समाचार एजेंसी के अख़बार चलाने के ख़िलाफ़ विरोध हुआ तो उसके निदेशकों ने एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक समझौता किया। 1935 में जब सदानंद के अख़बार की ज़मानत ज़ब्त कर ली गई, तो अंततोगत्वा उनको अपनी एजेंसी भी बंद करनी पड़ी। प्रोफेसर के. एम. श्रीवास्तव अपनी पुस्तक 'न्यूज़ एजेंसीज : फ्रॉम पिजन टू इंटरनेट' में लिखते हैं कि – "अगर मोहनदास करमचंद गांधी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो पत्रकार स्वामीनाथ सदानंद एक पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए न केवल तब लड़ाई लड़ी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत की। साथ ही भविष्य में कुछ एजेंसियों द्वारा वैश्विक समाचारों पर प्रभुत्व से उत्पन्न खतरों के प्रति आगाह भी किया। उन्होंने 'नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था' शब्द का आविष्कार नहीं किया लेकिन उस मुद्दे को पहचाना जो आज भी दुनिया को प्रभावित कर रहा है।"

यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया (यूपीआई) की स्थापना 1933 में कलकत्ता से बिधुभूषण सेनगुप्ता ने फ्री प्रेस से इस्तीफा देकर की थी। सेनगुप्ता इसके प्रबंध निदेशक और डॉ. बी. सी. रॉय निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे। समाचार एजेंसी को स्थापना काल से ही वित्तीय और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाकि एजेंसियों की तरह ही इसके बरक्स भी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी एसोसिएटेड प्रेस से थी। 1937 में एपीआई के टेलीप्रिंटर ट्रांसमिशन शुरू हो जाने के बाद यह प्रतिस्पर्धा और असमान हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में यूनाइटेड प्रेस टेलीप्रिंटर सेवाओं का उद्घाटन किया, तो समाचार एजेंसी को एक नया जीवन मिला। यूपीआई को बाकि एजेंसीयों के मुक़ाबले में टिक ना पाने के कारण अंततः साल 1958 में बंद कर दिया गया। 1977 में इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा प्रकशित अपने आलेख 'स्लाटर ऑफ़ समाचार' में सी. राघवन ने यूपीआई के इस पतन के बारे में लिखा – " उस समय, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की ओर से, मैंने यूपीआई को बंद होने से बचाने के प्रयास में गृह मंत्री स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत से बार-बार मुलाकात की। पंडित पंत डाक और तार विभाग को यूपीआई के ऋण भुगतान पर रोक लगाने के लिए तैयार थे – यह काफी बड़ी राशि थी – बशर्ते कि उन्हें मालिकों और समाचार पत्रों द्वारा आश्वासन दिया जाए कि वे कर्मचारियों के भविष्य निधि बकाया सहित अन्य ऋणों का भुगतान करेंगे और यह आश्वासन देंगे कि सेवा को किफ़ायती ढंग से चलाया जा सकता है। समाचार पत्र अनिच्छुक थे और मालिक कुछ भी करने में असमर्थ थे। और इस तरह यूनाइटेड प्रेस ऑफ़ इंडिया (यूपीआई) का पतन हो गया।" (श्रीवास्तव, 2007, पृ. 44)

3. पीटीआई : भारत की सबसे बड़ी समाचार समिति का निर्माण

समाज के वैचारिकी के निर्माण में समाचार की महत्वता पूर्व विदित है। समाचार साधनों पर नियंत्रण, समाज पर नियंत्रण की पूर्वपीठिका होती है। इस तथ्य से भारतीय पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग औपनिवेशिक काल में ही परिचित हो चुके थे। इसलिए भारत को आज़ादी मिलने के पहले पखवाड़े के भीतर ही इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी (आई.ई.एन.एस.) के सदस्यों ने समाचार संकलन के परिदृश्य में स्वतंत्र होने के लिए 27 अगस्त 1947 को मद्रास में समाचार समिति – प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडियाका गठन किया।

27 अगस्त 1947 को पीटीआई की स्थापना के साथ ही इसकी सेवा लेने वाले पहले पहल संपादकों और समाचारपत्रों की सूची निम्नवत है:
के. श्रीनिवासन, संपादक – द हिंदू, मद्रास
खासा सुब्बा राव, संपादक – स्वतंत्र, मद्रास
एस. एस. वासन, संपादक – द आनंदविकटन, मद्रास
एस. सदानंद, संपादक – फ्री प्रेस जर्नल, बंबई
सी. आर. श्रीनिवासन, संपादक – स्वदेशमित्रण, मद्रास
ए. ए. हयलेस, संपादक एवं निदेशक – द मेल, मद्रास
एस. वी. स्वामी, संपादक – फ्री प्रेस, मद्रास

प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया(पीटीआई) का इतिहास स्वतंत्रता पूर्व के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी (आई.ई.एन.एस.) यानी तत्कालीन अविभाजित भारत, बर्मा और सिलोन (वर्तमान श्रीलंका) के समाचारपत्रों के प्रकाशकों का यह समूह अपने स्थापना काल – 1939 के बाद से ही लगातार समाचार संकलन की दिशा में समाचार समिति के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध था। आई.ई.एन.एस. भारत की सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी - एसोसिएटेड प्रेस ऑफ़ इंडिया(एपीआई) के अधिग्रहण हेतु प्रयासरत थी। बकौल रामनाथ गोयनका - एपीआई पर मालिकाना हक़ रखने वाली रॉयटर्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बहाने इस प्रस्ताव को युद्ध के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने तक इंतजार करने की बात कह कर टाल दिया। (राघवन, 1987, पृ.7)

1945 में ब्रिटेन की सत्ता संभालने वाली ब्रिटिश लेबर सरकार ने रॉयटर्स को भारत में अपने हितों को हस्तांतरित करने हेतु भारतीय समाचार पत्रों के साथ समझौता करने के लिए कहा था लेकिन रॉयटर्स अपना एकाधिकार छोड़ने हेतु अनिच्छुक था। यहाँ तक कि जब ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार था तब भी घरेलू एजेंसी, एपीआई का नियंत्रण राष्ट्रीय समाचार एजेंसी को सौंपने के लिए तैयार होने के बावजूद, रॉयटर्स ने विदेशी समाचार सेवा का स्वामित्व बनाए रखने पर जोर दिया। ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी रॉयटर्स अपने हितों के अनुकूल आइईएनएस के साथ समझौता कर सके।

अंततः इस गतिरोध का अंत भारत सरकार के गृह और सूचना मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की मध्यस्थता से हुआ। भारत सरकार ने यह नियम बनाया कि कोई भी समाचार समिति भारत में सीधे अपने समाचार प्रसारित नहीं कर सकेगी। विदेशी न्यूज़ एजेंसीयों को समाचारों का प्रसारण किसी भारतीय न्यूज़ एजेंसी के सहयोग से ही करना पड़ेगा। पटेल ने स्पष्ट आदेश दिया कि रॉयटर्स को अगर यह नियम मंज़ूर नहीं तो उसके टेलीप्रिंटर लाइन लाइसेंस का नवनीकरण करने के बजाय उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने रॉयटर्स को अपने भारतीय हितों को पूरी तरह से भारतीय समाचार समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सौंप देने पर मजबूर कर दिया। (जोगलेकर, 2014, पृ. 47) सरदार पटेल ने आईईएनएस अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे रॉयटर्स को इस अल्टीमेटम और नए समझौते की आवश्यकता के बारे में सूचित करें। यह देखते हुए कि उसका टेलीप्रिंटर लाइन लाइसेंस जुलाई 1947 में समाप्त होने वाला था और सरकार ने भविष्य में केवल भारतीय एजेंसियों को ही लाइसेंस देने का फैसला किया था। यह ख़बर लगते ही रॉयटर्स ने तुरंत ही एपीआई के पूर्ण हस्तांतरण पर सहमति व्यक्त की और एक भारतीय समाचार पत्र प्रतिनिधिमंडल को एक नए सौदे पर बातचीत करने के लिए इंग्लैंड आमंत्रित किया। नए साझेदारी सौदे को 27 जुलाई 1948 को IENS द्वारा अनुमोदित किया गया और इस समझौते की आधिकारिक घोषणा 21 सितंबर 1948 को की गई। 14 जनवरी 1949 को पीटीआई ने आवश्यक राशि का भुगतान किया और 1 फरवरी 1949 से रॉयटर्स का भागीदार बन गया। इस प्रकार अगस्त 1947 से एक कंपनी के रूप में पंजीकृत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने 1 फरवरी 1949 अपना संचालन शुरू किया। (श्रीवास्तव, 2007, पृ. 46)

लंदन के मुख्यालय में भारतीय डेस्क का निर्देशन करने के लिए पीटीआई ने जब हिंदू के सहायक संपादक रहे जी. पार्थसारथी और एपीआई के वरिष्ठ कर्मचारी के. गोपालन को उनके सहयोगी के तौर पर भेजा तो 20 अप्रैल 1949 को लंदन पहुंचने पर उन्होंने पाया कि भारत डेस्क में कुल छह लोग थे। इन छह में से पांच को तो भारतीय परिस्थितियों, यहां तक कि भारतीय भूगोल का कोई ज्ञान ही नहीं था। छठे व्यक्ति का भारत को लेकर यह अनुभव था कि वह करीब बीस साल पहले कलकत्ता में स्टेट्समैन के उप-संपादक रह चुका था। रॉयटर्स ने जल्द ही समझौते में पीटीआई के लिए चिह्नित क्षेत्रों में बिना किसी पूर्व परामर्श के प्रतिनिधियों को भेजकर समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान और भारत के मध्य तनावपूर्ण संबंधो को देखते हुए रॉयटर्स जब नई दिल्ली में जब अपना स्थाई रिपोर्टर नियुक्त किया, तब देवदास गाँधी जो उस वक़्त रॉयटर्स बोर्ड में पीटीआई के निदेशक थे उन्हें यह बात बेहद नागवार गुजरी। (दास, 2016 पृ. 138)

1952 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉ. बी. वी. केसकर ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का आग्रह किया और ऐसे समझौता करने के खिलाफ सचेत किया जो इसे रॉयटर्स जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अधीन कर सकते हैं। उक्त प्रकरण में संकोच के साथ हस्तक्षेप करते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखकर – देश में एक मजबूत राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की आवश्यकता पर जोर दिया। नेहरू ने भारत की विदेश नीति और रॉयटर्स के हितों के बीच टकराव का उल्लेख

किया, खासकर एशिया के संदर्भ में। रॉयटर्स ने मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में पीटीआई के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की जिसके कारण यह तनाव पैदा हुआ। अंततः 1952 में पीटीआई ने रॉयटर्स के साथ साझेदारी को समाप्त कर दिया और 1953 में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई – इस कदम को नेहरू ने भारत की संप्रभुता के अपने रास्ते को प्रतिबिंबित करते हुए स्वागत किया। (श्रीवास्तव, 2007, पृ. 47)

4. पीटीआई : विकास और विस्तार की यात्रा

प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) को 1949 में एपीआई से विरासत में 30,000 किलोमीटर लंबा टेलीप्रिंटर नेटवर्क और 30 ब्यूरो का नेटवर्क मिला। 1975 में 'समाचार' का गठन होने तक पीटीआई का टेलीप्रिंटर नेटवर्क 55,000 किलोमीटर तक बढ़ गया था। पीटीआई के पास शहरों और कस्बों में कुल मिलाकर 70 ब्यूरो हो चुके थे। ब्यूरो को जोड़ने वाले टेलीप्रिंटरों की संख्या 1975 में 1200 थी। 1975 में इसके कुल कर्मचारियों की संख्या 1251 थी, जिनमें से 181 पत्रकार, 268 स्ट्रिंगर और 801 गैर-पत्रकार थे। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 1975 में पीटीआई का राजस्व 1.90 करोड़ रुपये हो गया था। लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण पीटीआई का विदेश में संचालन देश के भीतर इसके कवरेज के पैमाने से मेल नहीं खा सका। विभिन्न चरणों में विदेशी संवाददाताओं की संख्या पहले 12 से 9 फिर घटते हुए 1975 तक केवल 5 रह गई थी – सिर्फ संयुक्त राष्ट्र, मास्को, काठमांडू, कोलंबो और लंदन में ही पीटीआई के संवाददाता मौजूद थे। (श्रीवास्तव, 2007, पृ. 48)

1959 में रॉयटर्स के साथ समाचार की खरीद के लिए विशेष साझेदारी समाप्त होने के बाद पीटीआई ने 14 विदेशी समाचार एजेंसियों, रॉयटर्स (यूके), एएफपी (फ्रांस), यूपीआई (यूएसए), तंजुग (यूगोस्लाविया), अंतरा (इंडोनेशिया), पोल्स्का एजेंसिया प्रसोवा (पोलैंड), डॉयचे प्रेस एजेंसी (जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक), बीएसएस (बांग्लादेश), नोवोस्ती (यूएसएसआर), बरनामा (मलेशिया), प्रेंस लैटिना (क्यूबा), एगरप्रेस (रूमानिया) के साथ वैश्विक समाचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था कायम की।
स्वतंत्रता प्राप्ति के एक दशक बाद तक भारत में दो बड़ी समाचार समितियाँ पीटीआई और यूपीआई कार्यरत थीं। एपीआई के अधिग्रहण से मिले संसाधनों की बदौलत पीटीआई को कई मामलों में यूपीआई पर बढ़त भी हासिल थी। साल 1958 में यूपीआई के बंद होने के बाद न्यूज़ एजेंसी के रूप में पीटीआई का एकाधिकार सा हो गया। साल 1961 में कुछ समाचार पत्रों ने समाचार के लिए सिर्फ किसी एक एजेंसी पर ना निर्भर रहना पड़े इस उद्देश्य के साथ यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया (यूएनआई) की स्थापना की। (जोगलेकर, 2014, पृ. 48)

इक्कीसवीं सदी के शुरुआती दौर में पीटीआई के कुल कर्मचारियों की संख्या 400 पत्रकारों सहित 1,300 से अधिक थी। देशभर में पीटीआई के 80 से अधिक ब्यूरो कार्यरत थे। नई सदी के आने के साथ विदेशी संवाददाताओं की संख्या में सुधार आया। बैंकॉक, बीजिंग, ढाका, यरुशलम, जोहान्सबर्ग, इस्लामाबाद, काठमांडू, कुआलालंपुर, लंदन, मॉस्को, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और सिडनी सहित दुनिया के सभी प्रमुख शहरों में पीटीआई के संवाददाता मौजूद थे। इसके अलावा करीब 400 स्ट्रिंगर समाचार फ़ाइल में योगदान कर रहे थे। विश्व की दो बड़ी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) और एजेंस फ्रांस-प्रेस (एएफपी) ने भारत में अपने समाचार वितरित करने के लिए पीटीआई के साथ समझौते कर चुके थे। द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से पीटीआई लगभग 100 वैश्विक समाचार एजेंसियों के साथ समाचारों का आदान-प्रदान भी करता है, जिसमें गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल और एशिया-प्रशांत समाचार एजेंसियों का संगठन शामिल है। (दास, 2016, पृ. 125)

वर्तमान समय में 600 से ज़्यादा पत्रकारों और 800 स्ट्रिंगरों के नेटवर्क के जरिये पीटीआई की पहुँच देश के हर कोने तक है। देश के हर जिले में पीटीआई के स्ट्रिंगर्स मौजूद हैं और बड़े शहरों में तो एक से ज्यादा स्ट्रिंगर या रिपोर्टर मौजूद हैं। आज के समय में पीटीआई अपने सब्सक्राइबर्स हेतु प्रतिदिन 1,000 से ज़्यादा टेक्स्ट-आधारित समाचारों का उत्पादन करता है। डिजिटल मीडिया/पत्रकारिता के बढ़ते स्वरुप और वीडियो कंटेंट की बढ़ती मांग के कारण जनवरी 2023 में पीटीआई ने वीडियो सेवा शुरू की। पीटीआई के इस कदम से वीडियो समाचार सेवा क्षेत्र में समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (एएनआई) के एकाधिकार को चुनौती मिली है। आज पीटीआई प्रतिदिन लगभग 200 लाइव वीडियो, लगभग 130 रॉ वीडियो स्टोरी, 30 से ज़्यादा वॉयस वीडियो स्टोरी और 250 तस्वीरें और ग्राफ़िक्स अपने ग्राहकों को प्रसारित करता हैं। एक बाज़ार के तौर पर भारतीय समाचार एजेंसी जगत में पीटीआई के पास बाज़ार का 90 प्रतिशत हिस्सा है। (पीटीआई, 2023)

5. समाचार : एकीकरण से विघटन का चुनौतीपूर्ण दौर

स्वतंत्र भारत के इतिहास में 25 जून1975 – 21 मार्च 1977 तक का दौर आपातकाल के रूप में दर्ज है। प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी द्वारा तत्कालीन राजनैतिक परिदृश्य और अपने राजनैतिक विरोधियों से निपटने के लिए साल 1975 में इमरजेंसी लगा दिया गया था। भारतीय लोकतंत्र इस दौर को इतिहास के एक काले अध्याय के तौर पर याद करता है जब देश को चलाने की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास केन्द्रित हो गई थीं और मौलिक अधिकार निलंबित थे। ऐसी परिस्थितियों के बीच समाज पर नियंत्रण रखने और विद्रोहों को कुचलने के लिए यह जरुरी था कि समाचारों पर भी नियंत्रण किया जाए। अतएव इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इंदिरा सरकार ने यह निर्णय लिया की देश की सारी समाचार समितियों का विलय कर एक ही न्यूज़ एजेंसी का निर्माण किया जाए जिससे समाचारों के प्रसारण पर सरकारी अंकुश सुनिश्चित हो सके।

इसी सरकारी दबाव के साथ देश की तत्कालीन चार समाचार समितियाँ – पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती ने 29 जनवरी, 1976 को एक समझौते के बाद फरवरी 1976 में अपनी अलग-अलग पहचानों को मिलाकर 'समाचार' नाम से एक संस्था बना ली। समाचार ने हिंदी सेवा का पुनर्गठन किया और इस उद्देश्य के लिए अधिक कर्मचारियों की भर्ती की और एक पूर्ण हिंदी सेवा की पेशकश शुरू की और कई हिंदी अखबार जो पहले अंग्रेजी सेवा ले रहे थे, वे हिंदी सेवा के सब्सक्राइबर्स/ग्राहक बन गए। 1977 के चुनावों में देश में पत्रकारिता की स्वतंत्रता और 'समाचार' एक बड़ा मुद्दा बन गया और इंदिरा गांधी की हार के बाद इस संस्था का भाग्य तय हो गया। (बॉयड-बैरेट, 2010)

1977 में चुनकर आयी जनता पार्टी नित भारत सरकार ने समाचार एजेंसी के रूप में 'समाचार' की संरचना की जांच करने और इसके पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए एक समिति बनायी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत 19 अप्रैल, 1977 को वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की अध्यक्षता में इस समिति का निर्माण किया गया। नैयर के पास यूएनआई चलाने का अनुभव था। समिति ने अगस्त 1977 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने समाचार का विघटन कर इसे दो एजेंसियों के रूप में पुनर्गठित करने की सिफारिश की – एक अंग्रेजी में सेवा प्रदान करने के लिए 'सन्देश', तथा दूसरी भारतीय भाषाओं हेतु 'वार्ता', और दोनों संयुक्त रूप से एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी 'न्यूज़ इंडिया' शुरू करें। वास्तव में समिति ने समाचार की मूल संरचना को बनाए रखा, इसकी अंग्रेजी, हिंदी और विदेशी सेवाओं को अलग-अलग नाम देने और उन्हें अलग-अलग ईकाई बनाने का सुझाव दिया। लेकिन इस बारह सदस्यीय समिति के दो सदस्य – सी. आर. ईरानी और ए. के. सरकार इस सुझाव से असहमत थे। दोनों का मत था की एजेंसीयों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त कर भाषा के आधार पर एकाधिकार वाली एजेंसी का निर्माण भविष्य के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अत: दो प्रतिद्वंदी एजेंसी का निर्माण किया जाए जिससे समाचारों की गुणवत्ता बेहतर हो सके, चूँकि पीटीआई और यूएनआई दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा कायम कर ली थी तो इन एजेंसीयों का नाम यही रखा जाए। एजेंसी मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में काम करे क्योंकि इसी की मांग हैं परंतु दोनों ही एजेंसी भारतीय भाषाओं में सेवाओं को शुरू करने की दिशा में भी प्रयास करें। विदेशी सेवाओं के लिए भी दोनों एजेंसी को स्वतंत्र छोड़ा जाए। (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 1977)

समिति के सुझावों में दो राय देखते हुए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने कुलदीप नैयर समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। आपातकाल के पूर्ववर्ती व्यवस्था ही कायम की और समितियों का वापस से विघटन कर उनके विकास और विस्तार की जिम्मेदारी समाचार एजेंसियों पर ही छोड़ दी।

14 अप्रैल, 1978 से चारों एजेंसियों ने आपतकाल के पूर्ववर्ती व्यवस्था की भांति अलग-अलग काम करना शुरू कर दिया। समाचार के विघटन के समय भारत सरकार ने उन्हें छह साल के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की, इसके अलावा एक गैर-आवर्ती पुनर्वास अनुदान और विकास ऋण भी दिया ताकि वे फिर से अलग-अलग संचालन शुरू कर सकें। पीटीआई और यूएनआई तो इस दौर को पार कर वापस से अपनी सेवाओं का विस्तार किया। मई 1982 यूएनआई ने अपनी पहली हिंदी सेवा - यूएनआई वार्ता शुरू की। वहीं अप्रैल 1986 में पीटीआई ने अपनी हिंदी सेवा पीटीआई-भाषा शुरू की। हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती एक दशक के भीतर एक बार फिर वित्तीय संकट में आ गए और अंतत: दोनों समितियाँ बंद हो गईं। वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी 'संवाद समितियों की पत्रकारिता' पुस्तक के संपादकीय में इस त्रासद पटाक्षेप के बारे में लिखते हैं कि – इन दोनों समितियों

के अकाल मृत्यु का प्रमुख कारण था 'व्यावसायिक दृष्टि' का नितांत आभाव था। 'हिन्दुस्थान समाचार' और 'समाचार भारती' दोनों में 'प्रोफेशनलिज्म' का आकाल निरंतर खलता रहा। यद्यपि समाचार सेवाओं में दोनों समितियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। (जोगलेकर, 2014, पृ. XIX) हिन्दुस्थान समाचार लंबी कानूनी लड़ाईयों और आर्थिक निवेशों के बाद पुन: शुरू भी हुआ व वर्तमान में सबसे ज्यादा भारतीय भाषाओँ में सेवा देने वाली समाचार समिति के रूप में कार्यरत भी है लेकिन जोशी की कही बात भी यथावत ही है।

6. पीटीआई : बदलते समय और तकनीक के साथ नवाचार

पीटीआई ने बदलते दौर के साथ अपनी सेवाओं में विविधता लाने का प्रयास किया। 1978 में समाचार से विघटन के बाद पीटीआई लगातार नवाचार के प्रयास करती रही। जुलाई 1980 में फीचर सेवा, अक्टूबर 1981 में विज्ञान सेवा, नवंबर 1982 में स्कैन (ऑन-स्क्रीन समाचार प्रदर्शन सेवा), फरवरी 1986 में पीटीआई-टीवी, अप्रैल 1986 में पीटीआई – भाषा (हिंदी सेवा), अगस्त 1987 में स्टॉकस्कैन – I, अक्टूबर 1987 में पीटीआई फोटो सेवा, अगस्त 1992 में पीटीआई मैग, अगस्त 1993 में पीटीआई ग्राफिक्स सेवा और मार्च 1995 में स्टॉकस्कैन – II शुरू की। इन नवाचारी प्रयोगों अलग-अलग स्तर की सफलता मिली। पीटीआई में समाचार संचालन का कम्प्यूटरीकरण 1985 में शुरू हुआ। अगले वर्ष अगस्त में भारतीय उपग्रह इनसैट-आईबी के माध्यम से समाचार और तस्वीरों का प्रायोगिक प्रसारण शुरू हुआ। पीटीआई 1981 में विदेश में ग्राहकों को सेवा देने वाली पहली भारतीय समाचार एजेंसी बन गई, जिसने अपनी वायर सेवा सीधे फारस की खाड़ी और सिंगापुर में सैटेलाइट चैनलों के माध्यम से अख़बारों को बेची। पीटीआई ने 1984 में यूएसए और 1985 में यूके में ग्राहकों को सेवा देना शुरू किया। हालाँकि अब पीटीआई अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी बनने की महत्वाकांक्षा नहीं रखती है।

10 अप्रैल, 1982 को INSAT-1A उपग्रह का प्रक्षेपण भारतीय टेलीविज़न के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम था। इसने सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार किया और कवरेज का विस्तार किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीविज़न सेवाओं का लाभ उठा पाए। (इंडियन मीडिया स्टडीज, 2023) भारत में एशियाई खेलों के आयोजन और उसके प्रसारण मद्देनज़र हुए यह बदलाव बड़ा था। इसके कारण भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण शुरू हो पाया। लेकिन भारत में सैटेलाइट टीवी चैनलों की शुरुआत होने में अभी भी एक दशक का समय था। इस बीच 1991 में भारत में सैटेलाइट टीवी चैनलों के आगमन के पाँच बरस पहले 1986 में पीटीआई द्वारा पीटीआई – टीवी सेवा शुरू किया जाना यह दर्शाता है कि पीटीआई नए माध्यम और तकनीक को अपनाने हेतु अग्रणी रहती थी। कभी-कभी सिर्फ तकनीक में आगे रहना भी पर्याप्त नहीं होता, बाजार में वैसी मांग ना होने के कारण पीटीआई की टीवी सेवा जल्द ही बंद हो गई। 1999 में अपने स्वर्ण जयंती के अवसर पर पीटीआई ने इंटरनेट के नए माध्यम पर पर्दापण किया। सितंबर 2003 में पीटीआई ने वेब माध्यम के जरिए न्यूज़ और फोटो सेवा की डिलीवरी शुरूआत की। (बॉयड-बैरेट, 2010)

2009 में पीटीआई ने टीवी सेवा शुरू करने पर पुनर्विचार किया किन्तु तब तक एएनआई ने इस सेवा में बढ़त बना चुकी थी। 2016 के बाद भारत में इंटरनेट के बढ़ते प्रसार सोशल मीडिया माध्यमों पर वीडियो कंटेंट की बढ़ती मांग को देखते हुए टीवी सहित इंटरनेट माध्यम के लिए पीटीआई ने अंततोगत्वा जनवरी 2023 में वीडियो सेवा शुरू कर ही दिया।

इंटरनेट का आगमन त्वरित समाचार सम्प्रेषण के दृष्टिकोण से न्यूज़ एजेंसीयों के लिए लाभकारी रहा परंतु सोशल मीडिया खासकर ट्वीटर जैसे माध्यमों के बढ़ते प्रयोग ने इनके समक्ष चुनौतियाँ भी पैदा की। लेकिन चुनौतियों के बीच ही मौके भी छुपे होते हैं। सोशल मीडिया माध्यमों के बढ़ते प्रयोग ने समाचार की साख का संकट पैदा किया, फेक न्यूज़ एक ऐसी विकट समस्या से जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है, आने वाले वक़्त में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रयोग इस समस्या को विकराल ही करने वाले हैं। ऐसे में समाचार समितियाँ अपनी महत्ता को पुनर्परिभाषित कर रही हैं – समाचार समितियों की सबसे बड़ी ताक़त है ज़मीन पर उनकी उपस्थिति, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टरों और स्ट्रिंगरों का उनका नेटवर्क। किसी भी ख़बर की पुष्टि के लिए सबसे बड़ा स्त्रोत यही है, और इन पर हर मीडिया संस्थान निवेश नहीं कर सकता। अत: दुनिया भर में समाचार समितियों ने समाचार की विश्वनीयता हेतु उसके सत्यापन करने के अपने पुराने काम को नए रूप में ढालते हुए फेक न्यूज़ के संकट से निपटने के लिए

फैक्ट-चेक यूनिट्स का गठन किया है। पीटीआई ने भी फरवरी 2022 में अपने पृथक फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया। (आईएफसीएन, 2023)

7. निष्कर्ष

पीटीआई की यह सात दशकों से ज्यादा लंबी यात्रा लगातार नवाचार करते हुए भारतीय पत्रकारिता जगत में खुद को केन्द्रीय भूमिका में बनाए रखने की यात्रा भी रही है। भारतीय पत्रकारिता के परिदृश्य में पीटीआई के महत्ता की झलक 1999 में इसके स्वर्ण जयंती पर तत्कालीन राष्ट्रपति के. आर. नारायणन के कहे कथन से स्पष्ट होती है – "हमें अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली। लेकिन समाचार और सूचना के क्षेत्र में स्वतंत्रता हमें 1949 में पीटीआई की स्थापना के साथ ही मिली।" (पीटीआई, 2022)

इन दशकों में पीटीआई लगातार भारत की शीर्ष न्यूज़ एजेंसी बनी रही इसके पीछे के कारणों को टटोले तो यह स्पष्ट होता है कि इसने एक न्यूज़ एजेंसी के तौर पर अपने मूल्यों से समझौता कभी नहीं किया। इसने हमेशा ख़बरों को जाँच-परख कर उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित की तथा अपने सब्सक्राइबर्स/ग्राहकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी निष्पक्षता कायम रखी। इसी कारण से पीटीआई आज भी भारत में न्यूज़ एजेंसीयों के बाज़ार में 90% हिस्सेदारी रखती है। (इंडिया, 2022 पृ. 663)

इन सात दशकों में सबसे बड़ी चुनौती तो सूचना प्रौद्योगिकी में निरंतर होता बदलाव रहा और इसके उपरांत राजनीतिक संकट के बादल। एक तरफ पीटीआई ने नवीन सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने में कोई कोताही नहीं की और खुद को उच्चीकृत करती रही। वहीं दूसरी तरफ इसके सहकारी और गैर-लाभकारी स्वरुप ने इसे राजनैतिक संकटों से भी बहुत हद तक बचाए रखा। इंटरनेट और सोशल मीडिया के चुनौतीपूर्ण दौर में भी पीटीआई ने जिस तरह ना सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है बल्कि वह विकास भी कर रही है उससे इसके निकट भविष्य पर तो संकट के आसार नहीं दिख रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम तकनीक – आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का पीटीआई में अनुप्रयोग यह दिखलाता है कि भारतीय पत्रकारिता जगत और प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया निरंतर एक-दूसरे के पूरक बने रहेंगे।

CONFLICT OF INTERESTS

None

ACKNOWLEDGMENTS

None

संदर्भ – सूची

राघवन, जी.एन.एस. (1987). *पीटीआई स्टोरी: ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ़ द इंडियन प्रेस एंड द न्यूज़ एजेंसी.* भारत: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया.

श्रीवास्तव, के.एम. (2007). *न्यूज़ एजेंसीज : फ्रॉम पिजन टू इंटरनेट.* भारत: न्यू डॉन प्रेस.

लोवेट, पैट. (1926). *जर्नलिज्म इन इंडिया. भारत:* द बन्ना पब्लिशिंग कंपनी.

बॉयड-बैरेट, ओलिवर. (2010). *न्यूज़ एजेंसीज इन द टरब्युलेंट एरा ऑफ़ द इंटरनेट.* स्पेन: कैटेलोनिया सरकार, राष्ट्रपति विभाग.

स्टोरी, ग्राहम. (1951). *रॉयटर्स सेंचुरी 1851-1951.* लंदन : मैक्स पर्रिश एंड कंपनी लिमिटेड.

सिल्बरस्टीन-लोएब, जोनाथन (2014). *द इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ न्यूज़: एसोसिएटेड प्रेस, प्रेस एसोसिएशन और रॉयटर्स, 1848-1947.* संयुक्त राज्य अमेरिका: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

जोगलेकर, काशीनाथ गोविन्दराव. (2014). *संवाद समिति की पत्रकारिता.* भारत: राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि.

भटनागर, डॉ. रामरतन. (2003). *द राइज एंड ग्रोथ ऑफ़ हिंदी जर्नलिज्म.* भारत: विश्वविद्यालय प्रकाशन.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय. (1977). *समाचार एजेंसीयों से सम्बंधित समिति की रिपोर्ट.* भारत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.

प्रकाशन विभाग. (2022). *इंडिया 2022: ए रेफरेंस एनुअल.* भारत: प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार.

दास, उज्जवल चंद्र. (2016). *डेवलपमेंट ऑफ़ न्यूज़ एजेंसीज: ए स्टडी ऑफ़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया* (पीएचडी थीसिस). आसाम यूनिवर्सिटी, सिलचर

Press Trust of India. About Us. https://www.ptinews.com/about से प्राप्त

Indian Media Studies. Television in India : Once an idiot box becomes 24x7 companion. https://indianmediastudies.com/television-in-india/#1991-1995_The_Dawn_of_Satellite_Television से प्राप्त

IFCN Codes of Principles. Press Trust of India. https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/application/public/press-trust-of-india/661a8b11ba7689d48142f963 से प्राप्त